

938

SL-14

दिनांक 10-9-14 200
1

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्या- /IV(1)/2014-01(28)/2014
देहरादून: दिनांक 08 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय आदेश संख्या-211/IV(1)/2010-176(सा.)/2006 दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा निदेशालय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निदेशालय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड हेतु सृजित संरचनात्मक ढांचे को शहरी विकास विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने एवं कार्यों को गति दिये जाने के उद्देश्य पुनर्गठित करते हुये निम्नानुसार शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड तथा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के संरचनात्मक ढांचे की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-शहरी विकास निदेशालय का पुनर्गठित ढांचा:-

DD/POI/ATI
को जो है वही ही
circulate कर
10/9/14
10/17

क्रम	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन	भर्ती का स्रोत/अभ्युक्ति
प्रशासनिक शाखा					
1.	निदेशक	1	1	संवर्गानुसार	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग
2.	अपर निदेशक	1	1	₹ 37400-67000/ 8700	पी0सी0एस0 संवर्ग से
3.	संयुक्त निदेशक (01 पद प्रशासन तथा 01 पद सतर्कता, विधि एवं प्रशिक्षण)	0	2	₹15600-39100/7600	केन्द्रीयित सेवा के कर्मिकों के माध्यम से।
4.	उप निदेशक (01 पद प्रशासन एवं 01 पद नियोजन एवं अन्य विविध कार्य)	2	2	₹ 15600-39100 / 6600	केन्द्रीयित सेवा के कर्मिकों के माध्यम से।
5.	सहायक निदेशक (01 पद प्रशासन एवं 01 पद नियोजन एवं अन्य विविध कार्य)	2	2	₹ 15600-39100/ 5400	50 प्रतिशत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत केन्द्रियित सेवा के कर्मिकों से तैनाती।
लेखा संवर्ग शाखा					
6.	वित्त नियन्त्रक	0	1	वित्त एवं लेखा संवर्ग	वित्त एवं लेखा संवर्ग का पद।
7.	सहायक वित्त/लेखाधिकारी	0	1	₹ 9300-34800/ 4800	लेखा संवर्ग का पद। निम्न पदक्रम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
8.	लेखाकार	1	2	₹ 9300-34800/ 4200	सहायक लेखाकार से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
9.	सहायक लेखाकार	4	4	₹ 5200-20200/ 2800	सीधी भर्ती द्वारा।
तकनीकी शाखा					
10.	अधीक्षण अभियन्ता	0	1	₹ 15600-39100/ 7600	पालिका केन्द्रियित सेवा से निम्न पदक्रम से पदोन्नति के द्वारा
11.	अधिशाली अभियन्ता	1	1	₹ 15600-39100/ 6600	पालिका केन्द्रियित सेवा से निम्न पदक्रम से पदोन्नति के द्वारा।
12.	सहायक अभियन्ता	0	2	₹ 15600-39100/ 5400	पालिका केन्द्रियित सेवा से निम्न पदक्रम से पदोन्नति के द्वारा।
13.	अवर अभियन्ता (सिविल)	1	4	₹ 9300-34800/ 4200	सीधी भर्ती के माध्यम से।
	अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल)	0	1		
	अवर अभियन्ता (मैकेनिकल)	0	1		

(Handwritten signature)

क्र.	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनबैण्ड / ग्रेड वेतन	भर्ती का स्रोत / अम्युक्ति
14.	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) अवस्थापना	0	1	-	आउटसोर्सिंग द्वारा।
15.	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	0	1	-	आउटसोर्सिंग द्वारा।
मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग शाखा					
16.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	₹ 9300-34800/4800	प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति द्वारा।
17.	प्रशासनिक अधिकारी	3	4	₹ 9300-34800/4600	प्रधान सहायक से पदोन्नति द्वारा।
18.	प्रधान सहायक	3	5	₹ 9300-34800/4200	वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा।
19.	वरिष्ठ सहायक	5	8	₹ 5200-20200/2800	कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा।
20.	कनिष्ठ सहायक	5	9	₹ 5200-20200/2000	सीधी भर्ती के माध्यम से।
21.	आशुलिपिक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	3	8	-	आउटसोर्सिंग द्वारा।
22.	वाहन चालक	2	2	-	पूर्व में दो वाहन चालक के पद सृजित हैं। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में शहरी विकास निदेशालय में कार्यरत अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वित्त नियंत्रक एवं अधिक्षण अभियन्ता यथा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर वाहन आउटसोर्स से व्यवस्था की जायेगी।
23.	चपरासी / अनुसूचक	5	5	-	कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति या अन्यथा रिक्त होने पर मृत संवर्ग। शहरी विकास निदेशालय में यथा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सफाई व्यवस्था/चौकीदार की व्यवस्था आउटसोर्स के माध्यम से की जायेगी।
कुल योग:-		40	70		

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का संरचनात्मक ढाँचा-					
2-	उप निदेशक	0	1	₹15600-39100/6600	परियोजना अधिकारी/सहायक निदेशक के पद से पदोन्नति के माध्यम से।
2.	सहायक निदेशक/ परियोजनाधिकारी	0	1	₹15600-39100/5400	प्रतिनियुक्ति द्वारा
कुल योग:-		0	2		

- 2:- क्रमांक-14 एवं 15 पर उल्लिखित पदों की धनराशि का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
- 3:- उक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्तियाँ/पदोन्नति आदि की कार्यवाही सम्बन्धित पदों की सुसंगत सेवानियमावलियों के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त तालिकाओं के कॉलम-3 के अनुसार पूर्व में सृजित पदों के स्थान पर कॉलम-4 में अंकित वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या मानी जायेगी।
- 4:- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-211/IV(1)/2010-176(सा.)/2006 दिनांक 15 अप्रैल 2010 को अतिक्रमित/संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल 2010 के

